



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237384
CG-DL-E-20072022-237384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3087]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/ आषाढ़ 29, 1944

No. 3087]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3247(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3901(अ), तारीख 28 अक्टूबर 2020, भारत के राजपत्र सं. 3438— तारीख 29 अक्टूबर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील हंडिया जिला प्रयागराज राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 13 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची संलग्न

जिला : प्रयागराज		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-	एयर-	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
हंडिया	फतेहपुर माफी	180	00	00	29
		179	00	00	51
		178	00	00	22
		171	00	12	69
		170	00	07	94
		169	00	00	50
		164	00	04	78
		195	00	00	37
		518	00	02	35

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-3822]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3247(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 3901 (E) Dated 28 October 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3438 dated 29 October 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG in tehsil Handia District Prayagraj In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 13th January 2021 and whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

"Schedule Annexed"

District : Prayagraj		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Handia	Fatehpur Mafi	180	00	00	29
		179	00	00	51
		178	00	00	22
		171	00	12	69
		170	00	07	94
		169	00	00	50
		164	00	04	78
		195	00	00	37
		518	00	02	35

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under secy.